संलग्नक-1

संख्या 2177 एल/18-7-94-15(एस०पी०)-92

प्रेषक,

श्री ओ० पी० आर्य,
सचिव, लघु उद्योग विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग (सामग्री क्रय अनुभाग),
कानपुर।

2—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 1994

विषय : केन्द्रीयकृत क्रय प्रणाली के अन्तर्गत मात्रा अनुबन्ध के अधीन मामलों में गृह, शिक्षा एवं ग्राम्य विकास विभागों को छोड़कर अन्य सम्बन्धित क्रेता विभागों को स्वयमेव क्रय व्यवस्था की अनुमति।

महोदय,

उद्योग अनुभाग (7).

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों (उन विभागों को छोड़कर जिन्हें स्वयं क्रय करने के अधिकार पूर्व में प्रतिनिहित किये जा चुके हैं) द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-5, भाग-1, परिशिष्ट-18 में उल्लिखित प्राविधानों तथा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार अपनी आवश्यकता की सामग्री की क्रय व्यवस्था उद्योग निदेशालय (सामग्री क्रय अनुभाग) के माध्यम से की जाती है। उद्योग निदेशालय द्वारा एक केन्द्रीयकृत क्रय प्रणाली के अन्तर्गत दर अनुबन्ध एवं मात्रा अनुबन्ध के माध्यम से विभिन्न शासकीय विभागों हेतु वांछित सामग्री की क्रय व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

2—शासन की विकेन्द्रीकरण नीति के तहत उक्त केन्द्रीयकृत क्रय प्रणाली को विकेन्द्रित किये जाने पर सम्यक् रूप से विचार किया गया जिससे सम्बन्धित क्रेता विभाग वांछित वस्तुओं का क्रय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए सुगमता पूर्वक कर सकें। वर्तमान में उद्योग निदेशालय द्वारा क्रय व्यवस्था एक समिति के माध्यम से की जाती है। समिति में क्रेता विभाग के प्रतिनिधि भी रहते हैं। पिछले कुछ समय से यह अनुभव किया जा रहा है कि मात्रा अनुबन्ध के कतिपय मामलों में उद्योग निदेशालय स्तर पर कभी-कभी विलम्ब हो जाता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया गया कि जिन विभागों को सामान क्रय करना है वे यदि अपनी आवश्यकतानुसार स्वयं अपने स्तर पर शासकीय नीति को ध्यान में रखते हुए क्रय करें तो सम्बन्धित विभाग स्वयं क्रय करने के लिए जिम्मेदार होंगे और उनको यह कहने का अवसर नहीं मिल पायेगा कि क्रय समय से नहीं हो पाया। इस बात पर भी विचार किया गया कि विभागीय क्रय समितियों की संस्तुति पर ऐसे सामग्री (आइटम्स) क्रय करने के लिए प्रशासकीय विभाग में विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को अधिकृत कर दिया जाये जो रेट कान्ट्रेक्ट में नहीं है और जो विभाग को एक समय की आवश्यकता के लिए अपेक्षित है तो क्रय व्यवस्था में तेजी आयेगी तथा क्रय किये जा रहे सामान की गुणवत्ता, समय पर आपूर्ति आदि का पूर्ण दायित्व विभागों का हो जायेगा।

3—इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय (सामग्री क्रय अनुभाग) के माध्यम से क्रय करने की वर्तमान व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत करके (गृह, शिक्षा एवं ग्राम्य विकास विभागों को छोड़कर) सम्बन्धित विभागों/विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सीधे क्रय किया जाय। इस प्रकार की क्रय व्यवस्था में विभागों का यह दायित्व होगा कि वे शासकीय क्रय नीति, सामग्री क्रय नियम तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। प्रश्नगत व्यवस्था में क्रय हेतु क्रेता विभागों द्वारा निम्नवत क्रय समिति का गठन किया जाय :-

(1) सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष	- अध्यक्ष
(2) उद्योग निदेशक अथवा उद्योग विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
(3) विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वरिष्ठतम लेखाधिकारी	सदस्य
(4) विभागाध्यक्ष द्वारा नामित एक विशेषज्ञ	सदस्य

4—मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत उपर्युक्त क्रय व्यवस्था में क्रय सामग्री जिसकी कीमत रु० 20,000 तक है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक समय में कार्यालयाध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करके क्रय की जायेगी। सामग्री जिसका मूल्य रु० 20,000 से अधिक किन्तु रु० 1,00,000 तक है, के क्रय के लिए कार्यालयाध्यक्ष को अपने विभागाध्यक्ष के आदेश प्राप्त करने होंगे तथा रु० 1,00,000 से अधिक मूल्य की सामग्री के क्रय हेतु शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। विभाग के स्तर पर गठित क्रय समिति की संस्तुति पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से क्रय किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा यह अनुमोदन विभागाध्यक्ष स्तर पर गठित क्रय समिति की संस्तुति के उपरान्त प्रदान किया जायेगा। यह व्यवस्था मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत क्रय की जा रही सामग्री के लिए ही लागू होगी, तदनुसार शासनादेश संख्या 3547 एल एफ/18-डी-32 एस० पी०-60, दिनांक 16 नवम्बर, 1982, शासनादेश संख्या 752 एस० पी०/18-4—103 एस० पी० -73, दिनांक 9 नवम्बर, 1981, शासनादेश संख्या 392 एस० पी०/18-7-76 एस० पी०-86, दिनांक 26 मई, 1987 तथा शासनादेश संख्या 2573 एस०पी०/18-7-76 (एस०पी०), दिनांक 8 जनवरी, 1992 के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय सामग्री क्रय नियमों के नियम-8 के नीचे नियम 8-अ निम्नानुसार रखने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम 8-अ

"सामान्य स्थिति वाले मामलों में मात्रा अनुबन्ध के अंतर्गत कार्यालयाध्यक्ष एक बार में रु० 20,000 (रु० बीस हजार मात्र) मूल्य की सीमा तक सामग्री (विदेशी तथा स्वदेशी निर्मित दोनों प्रकार की वस्तुओं की) क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार विभागाध्यक्ष उपर्युक्त स्थिति में एक समय में रु० 1,00,000 (रु० एक लाख मात्र) मूल्य की सीमा तक की वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। रु० 20,000 से अधिक और रु० 1,00,000 की सीमा तक मूल्य की वस्तुओं के क्रय हेतु कार्यालयाध्यक्ष अपने विभागाध्यक्ष की अनुमति तथा रु० 1,00,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं के क्रय हेतु विभागाध्यक्ष को शासन के प्रशासनिक विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस प्रकार के क्रय की स्वीकृति आदेश जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत क्रय हेतु पर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध है तथा क्रय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की सहमति प्राप्त कर ली गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जावेगा और उसमें यह स्पष्ट अंकित किया जाना होगा कि प्रश्नगत क्रय सामग्री क्रय नियमों के अनुसार है और संबंधित वस्तु उद्योग निदेशालय द्वारा निर्गत किये गये किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नहीं आती है। इन स्वीकृति आदेशों की प्रतियां उद्योग विभाग, वित्त विभाग तथा उद्योग निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग), उत्तर प्रदेश, कानपुर को सदैव भेजी जानी चाहिए।"

उपर्युक्त नियम 8-अ के अन्तर्गत क्रय की स्वीकृति के आदेश में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना आवश्यक होगा :-

प्रमाणित किया जाता है कि-

(1) क्रय आय-व्ययक में उपलब्ध प्राविधान के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(2) रुपये 500 से अधिक के सामान के क्रय हेतु कोटेशन तथा रुपये 5,000 से अधिक मूल्य के सामान के क्रय हेतु नियमानुसार टेण्डर मांगने की शासनादेश संख्या ए-1-164/दस-15(1)-80, दिनांक 21 जनवरी, 1987 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है।

(3) क्रय के लिए आवश्यक मात्रा के टुकड़े-टुकड़े करके उसे उपर्युक्त वित्तीय सीमा के अन्तर्गत नहीं किया गया है।

(4) संबंधित वस्तु/वस्तुओं के क्रय की वित्तीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश संख्या दिनांक में प्रदान कर दी गयी है।

5—इसी क्रम में यह भी कहना है कि जो विभाग उक्त प्रस्तर-3 में इंगित विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत अपने स्तर से सीधे क्रय करने में व्यवहारिक कठिनाइयों का अनुभव करें तो उनका उल्लेख करते हुए अपना प्रस्ताव उद्योग निदेशक को भेजेंगे तथा इसकी सूचना शासन के उद्योग विभाग को भी देंगे। इन विभागों के समक्ष यह विकल्प नहीं होगा कि कभी क्रय स्वयं करें और कभी क्रय उद्योग निदेशक के माध्यम से करें। अतः ऐसे विभाग पूर्व में ही यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें क्रय स्वयं करना है अथवा उद्योग निदेशक के माध्यम से करना है।

6—इसी क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्गत किये जा रहे इन आदेशों के अन्तर्गत क्रय प्रक्रिया का विकेन्द्रीयकरण/सरलीकरण किया जा रहा है, इनमें सामग्री के क्रय के अधिकारों को प्रतिनिहित [illegible] है। दर अनुबन्ध के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय (सामग्री क्रय अनुभाग) द्वारा क्रय किये [illegible] की वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी।

7—कृपया उपर्युक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

8—यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय संख्या ए० ई०-1-[illegible] 681/दस-94, दिनांक 12 अक्टूबर, 1994 में प्राप्त हुयी है, जारी किये जा रहे हैं।

[illegible]

भवदीय,
ओ० पी० आर्य,
सचिव।

संख्या 2177 एल(1)/18-7—94-15 (एस०पी०)-92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1 व 2 तथा (आडिट) 1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
पी० के० शर्मा,
विशेष सचिव।